कम्प्यूटर पी0 पत्र संख्या-1314140 दिनांक 14-3-2014

पत्रसंख्या–ज्वा0कमि0(धारा–59)प्रा0प0सं0 095/2008/ 1316 /वाणिज्यकर,

कार्यालय:: कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तरप्रदेश,
(धारा–59 अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 12, मार्च, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तरप्रदेश, Smi E1 Vi G

दी लखनऊ आयरन, हार्डवेयर एण्ड पेन्टस मर्चेन्ट एसो0, 82 गौतमबुद्ध मार्ग, लखनऊ द्वारा एक प्रत्यावेदन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा धारा–59 प्रा0प0सं0–095/08 के वाद में दिनांक 17.3.2008 को पारित निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 अनुसूची–2 भाग–क कमसं0–92 पर अंकित मैटेलिक जाली के अन्तर्गत लोहे के चादर से बनी जाली भी आयेगी, प्रत्यावेदन में कहा गया कि लोहे के चादर में सुराख करके बनी जाली को अंग्रेजी मे स्टील परफोरेटेड शीट कहा जाता है । इसके संदर्भ में पूर्व निर्णय दिनांक 17.3.08 के आधार पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया ।

उक्त प्रत्यावेदन पर विचार किया गया । Wikipedia free encyclopedia में Perforation का अर्थ निम्न उल्लिखित है :–

A perforation is a small hole in a thin material or web. There is usually more than one perforation in an organized fashion, where all of the holes are called a *perforation.* the process of creating perforations is called **perforating,** which involves puncturing the workpiece with a tool.

Perforation can be created by pins, needles,die and punch or laser.

उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि लोहे की शीट में छेद करने से परफोरेटेड शीट का निर्माण होता है । इस प्रकार की शीट को सामान्य भाषा (Common parlance) में लोहे की जाली कहा जाता है । इस संदर्भ में धारा–59 का निर्णय दिनांक 17.3.08 स्वतः स्पष्ट है ।

तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

12.3.2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तरप्रदेश, लखनऊ ।